#### INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANPUR

ESTATE OFFICE (Phone: (0512) 259-7327) ROOM NO. 101-D (FACULTY BUILDING)

## **TENDER DOCUMENT**

#### **FOR**

#### **RUNNING PROVISION STORE**

AT SHOP NO. 3

## HALL OF RESIDENCE- XIII, IIT KANPUR

**NOTICE NO.11/2018-19** 

#### **Issued By:**

ESTATE OFFICE I.I.T. KANPUR

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

संपदा कार्यालय )दूरभाषः 0512)259-7327 कक्ष संख्या 101 बी )फैकल्टी बिल्डिंग( निविदा सं.11/2018-19 भा.प्रौ.सं.कानपुर स्थित हाल -13 की दुकान सं. 3 में प्रोविशन स्टोर के संचालन हेतु निविदा प्रपत्र

> सम्पदा कार्यालय भा.प्रौ.सं. कानपुर द्वारा जारी

#### INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANPUR ESTATE E (Phone: 2597166) ROOM NO. 101-D (FACULTY BUILDING)

NO. EO/CEMMC-IITK/2018-19/570

05 September 2018

#### **Tender Notice No.11/2018-19**

## SUB: TENDER TO RUN PROVISION STORE AT SHOP NO.3, HALL OF RESIDENCE-XIII, IIT KANPUR

Indian Institute of Technology Kanpur (hereinafter referred to as the Institute) established by the Parliament and incorporated as a body corporate, is an Institute of National Importance declared as such under the Institutes of Technology Act, 1961. The Institute is engaged in imparting education and research of highest standards in the area of Technology and Science.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर )आगे संस्थान के रूप में उल्लेख किया गया है( की स्थापना संसद द्वारा की गई जिसे निगमित निकाय के रूप में सम्मिलित किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्ननालॉजी एक्ट 1961 के तहत संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया है। संस्थान प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है।

The Institute has shop premises at **shop No. 3 of Hall of Residence XIII with an area of 13.77 square meter** and intends to give it on license, to the willing party having experience of minimum three years of operating **provision store**(s) under its ownership/proprietorship, to cater to the campus community.

छात्रावास XIII के अन्दर दुकान संख्या 3 मे दुकान हेतु परिसर उपलब्ध है जिसका **क्षेत्रफल 13.77 वर्ग मीटर है** जिसको संस्थान ऐसे इच्छुक व्यक्ति को लाइसेंस पर देना चाहता है जिनके पास प्रोविशन स्टोर संचालित करने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव हो और संस्थान समुदाय की सहसंबद्ध आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने स्वामित्व/प्रभुत्व के तहत इस प्रकार की दुकान)नों( को संचालित कर रहा हो।

Sealed bids are accordingly, invited on behalf of Indian institute of Technology Kanpur from the interested parties for running such an outlet at the aforementioned location on campus.

तदनुसार, सीलबंद बोली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की ओर से इच्छुक पार्टियों से परिसर में उपरोक्त स्थान पर इस तरह की दुकान चलाने के लिए आमंत्रित किए गए हैं।

The Tender document can be downloaded from Estate office website: http://www.iitk.ac.in/estateoffice/Tender.htm निविदा दस्तावेज को एस्टेट कार्यालय की वेबसाइट http://www.iitk.ac.in/estateoffice/Tender.htm से डाउनलोड किया जा सकता है।

1) The prescribed bid form duly filled by the applicant in all respects should be dropped in the tender box kept in the Estate Office on 10 October 2018 (Wednesday) up to 1450 hrs.

आवेदक द्वारा सभी मामलों में विधिवत भरे गए निर्धारित प्रपत्र को एस्टेट कार्यालय में **10 अक्टूबर 2018** (**बुधवार**) से 1450 बजे तक रखे गए निविदा बॉक्स में डाल देना चाहिए

2) The tenders will be opened on **10 October 2018** (Wednesday) at 1500 hours in Room No. 101-B, Faculty Building, IIT Kanpur in the presence of the Members of Tender Committee of the Institute and authorized representative(s) of the bidding parties. The parties will be required to meet the Committee for presentation (to satisfy all material questions pertaining to their company/ firm and their modus-operandi etc.), interview and finalization of the offer.

निविदाएं खोली संख्या 101-बी, संकाय भवन, आईआईटी कानपुर में 1500 बजे **10 अक्टूबर 2018 (बुधवार)** संस्थान की निविदा समिति के सदस्य और बोली के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जाएगी। दलों को प्रस्तुति के लिए समिति से (उनकी कंपनी / फर्म और उनकी कार्यप्रणाली से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने हेतु) एक एक करके साक्षात्कार देना होगा।

3) The Financial bids of only the technically qualified bidders shall be opened on 10 October 2018 (Wednesday) at 16:00 hours in Room No. 101-B, Faculty Building, IIT Kanpur.

केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां कमरा संख्या 101-बी, फैकल्टी बिल्डिंग, आईआईटी कानपुर में 04:00 बजे **10 अक्टूबर 2018 (बुधवार)** पर खोली जाएंगी।

4) The Institute reserves the right to accept / reject any tender without assigning any reasons. संस्थान किसी भी कारण बिना किसी भी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

-----sd-------Assistant Registrar/ Officer In-charge, Estate

#### Copy to:

- 1. Director
- 2. Deputy Director
- 3. Chairman, CEMMC
- 4. Registrar
- 5. All Notice Boards
- 6. Institute website.

# GUIDELINES FOR TENDER FOR PROVISION STORE AT SHOP NO. 3, HALL OF RESIDENCE-XIII, IIT KANPUR

गर्ल्स हॉस्टल टावर-II की दुकान सं. 3 में प्रोविशन स्टोर की निवदा के लिए दिशानिर्देश

#### **General:**

सामान्य:

- 1. The contract is for running a **provision store at shop no.3, Hall of Residence XIII** at IIT Kanpur for which premises to the successful bidder shall be given on license. However, the shop shall be run under certain conditions which are stipulated hereinafter and in the terms and conditions of contract, i.e., Appendix-B.
- यह अनुबंध छात्रावास —XIII की दुकान सं. 3 में प्रोविशन स्टोर चलाने के लिए है, जिसके लिए दुकान का परिसर सफल बोलीदाता को लाइसेंस पर दिया जाएगा, हालांकि, दुकान को कुछ निश्चित शर्तों के तहत चलाया जाएगा जो कि इसके बाद के प्रष्ठों मे उल्लिखित हैं और अनुबंध की शर्तें अर्थात् परिशिष्ट-बी में समाहित हैं.
- 2. Each and every page of the bid must be signed by the bidder himself, if the bidder is a proprietorship firm and by a partner in case of a partnership firm. However, in such a case, there must be an **authorization** from all the partners to the effect that the person signing the bid as a partner has been authorized to sign the bid document on behalf of all partners.
- यदि बोलीदाता एक स्वामित्व फर्म है तो हर पृष्ठ पर बोलीदाता के हस्ताक्षर होने चाहिए, और यदि बोलीदाता एक साझेदार फर्म है, तो हर पृष्ठ पर एक पार्टनर द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए। हालांकि, ऐसे मामले में, सभी सहयोगियों से इस संबंध में एक प्राधिकरण होना चाहिए कि भागीदार के रूप में बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को सभी भागीदारों की तरफ से बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- 3. If the bidder is a Company, there must be a valid authorization from the competent authority/ Board resolution, authorizing the person to sign and file the bid on behalf of the Company. यदि बोलीदाता एक कंपनी है, तो सक्षम प्राधिकारी / बोर्ड के समाधान के द्वारा वैध प्राधिकरण होना चाहिए, व्यक्ति को कंपनी की ओर से बोली लगाने और फाइल करने के लिए प्राधिकृत करना होगा।
- 4. Any bid **not signed on each page** and without authorization may be rejected.
  यदि कोई बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर नहीं पाये जाते हैं या /और बोली मे प्राधिकरण संलग्न नहीं है, तो ऐसी बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
- 5. Any overwriting or cutting in the bid document must be avoided. However, if any over writing or cutting is caused due to some unavoidable reason, the same must be duly attested by the person signing the bid document. बोली दस्तावेज में कोई भी अधिलेखन या कटौती नहीं की जानी चाहिए। यदि कुछ अपिरहार्य कारणों से बोलीदाता को बोली दस्तावेज़ मे कोई अधिलेखन या कुछ काटना पड़ता है, तो उस व्यक्ति को बोली दस्तावेज पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर कर के ऐसे अधिलेखन या कटौती को प्रमाणित करना चाहिए।
- 6. The tenderer is not allowed to make additions/alterations in the tender paper. Such additions and alterations shall be at the tenderers own risk and shall render the tender to be summarily rejected. Conditional tenders shall not be accepted.
- निविदाकर्ता को निविदा पत्र में परिवर्तन करने की अनुमित नहीं है। इस तरह के परिवर्धन और परिवर्तन निविदाकारों के अपने जोखिम पर होंगे और निविदा को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी
- 7. The tenderer shall give his/her full permanent as well as temporary address in Annexure 1 and shall also furnish/attached proof thereof.
- निविदाकर्ता अनुबंध 1 में अपने पूर्ण स्थायी एवं अस्थायी पता देगा और इसके बारे में संबंधित प्रमाण भी प्रस्तुत करेगा।

- 8. The bidder whose bid is accepted, shall submit a Rs.100/- non- judicial stamp paper at its own cost to the Estate Office for preparing the contract agreement to be signed by the both the parties. जिस बोलीदाता की बोली को अंतिम रूप से स्वीकार किया जायेगा, उसे दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध करार तैयार करने के लिए सम्पदा कार्यालय को अपनी लागत पर 100 रुपये का गैर-न्यायिक स्टांप पेपर प्रस्तुत करना होगा.
- 9. Prices of all products in Annexure-1 (part III) must be quoted in Indian rupees and must be inclusive of GST. अनुलग्नक- 1 के भाग-III में सभी प्रोडक्टस की कीमत भारतीय रुपए में (जीएसटी सहित ) उद्धृत की जानी चाहिए।

#### Eligibility Criteria/ पात्रता मापदंड:

10 **Good Financial health** of an individual/ firm in terms of working capital, to run such an outlet smoothly. Preferences will be given to individual/firm with better financial position/state. प्रोविशन शॉप को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोली लगाने वाले के पास कार्यशील पूंजी के मामले में अच्छी वित्तीय स्थिति होनी चाहिए। बेहतर वित्तीय स्थिति वाले व्यक्ति / फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी.

11 Must have related **experience of not less than three years** in a Government/semi-government/autonomous body/reputed Institute or private body. Interested bidder may apply along-with sufficient proof of its experience/ability of running such an outlet. बोली लगाने वाले को सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय और प्रतिष्ठित संस्थान में ऐसी दुकान चलाने का **कम से कम तीन वर्ष** का अनुभव होना चाहिए। इच्छुक बोलीदाता इस तरह की दुकान चलाने के अपने अनुभव/क्षमता के प्रमाण के साथ आवेदन

कर सकते हैं।

- 12. The bidder must have PAN Number and GST/GSTN number. The bidder to whom the contract is finally awarded shall have a GST number for the shop in question as well, if the related law so requires. बोलीदाता के पास पैन नंबर और जीएसटी / जीएसटीएन नंबर का पंजीकरण होना आवश्यक है। जिस बोलीदाता को अंत में अनुबंध के साथ सम्मानित किया जाएगा, उसे, यदि संबंधित कानून लागू है, तो दुकान के लिए एक जीएसटी नंबर रजिस्टर कराना होगा।
- 13. The bidder must have its code numbers under the Employees State Insurance Act & Employees Provident Fund Act from the Kanpur offices of the concerned departments. बोलीदाता के पास कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत अपना कोड नंबर होना चाहिए
- 14. Firms already having another establishment/shop etc. within the Institute premises will be considered based on good performance. Bidder having two or more establishment/shop etc. within the Institute premises will not be considered for this bid. Further, any bidder who is already into any kind of litigation with the Institute shall be barred from participating in this tender process. Employee and students' relatives are barred from submitting the bids

संस्था परिसर में पहले से ही एक अन्य प्रतिष्ठान / दुकान/ इत्यादि वाले फर्मों की बोली पर अच्छे प्रदर्शन के आधार पर विचार किया जाएगा। संस्थान परिसर में दो या अधिक प्रतिष्ठान / दुकान / इत्यादि वाले बोलीदाता की बोली पर इस निविदा के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी बोलीदाता का इस संस्थान के साथ से पहले से ही किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी जारी है तो ऐसे बोलीदाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। कर्मचारी और छात्रों के रिश्तेदारों को बोली प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है

## Earnest Money Deposit (EMD)/ बयाना जमा (ईएमडी)

15. Every bid must be attached with an Earnest Money Deposit of Rs. 5,000/- in the form of FDR/TDR/DD of any scheduled bank, in favor of the "The Registrar, IIT, Kanpur". Any bid which is not accompanied by the

earnest money deposit, shall be summarily rejected. Any bid accompanied by the cheque in lieu of earnest money shall also be rejected.

हर बोली के साथ बयाना जमा राशि हेतु रुपए 5,000/- की किसी अनुसूचित बैंक की एफडीआर/टीडीआर/डी डी संलग्न होनी चाहिए। यह ईएमडी "रजिस्ट्रार, आईआईटी, कानपुर" के पक्ष में होनी चाहिए। यदि किसी निविदा सतवेज मे ईएमडी राशि हेतु एफ़डीआर/टीडीआर/डीडी संलग्न नहीं होगी, तो ऐसी निविदा को संक्षिप्त रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा।

16. The earnest money of the successful tenderer will be liable to be forfeited as liquidated damages in the event of any evasion, refusal or delay on his part in signing the agreement.

The earnest money of the tenderer who withdraws its tender in breach of conditions of contract and who evades or refuses to sign the contract bond after acceptance of its tender within the period of its validity, will also be liable for forfeiture.

यदि सफल निविदाकर्ता समझौते पर हस्ताक्षर करने के कार्य में किसी भी प्रकार की इनकार एवं/या देरी के लिए जिम्मेदार पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गयी बयाना राशि (ईएमडी) को संस्थान द्वारा जब्त किया जा सकता है। यदि निविदाकर्ता अनुबंध की किसी शर्त या शर्तों का उल्लंघन करते हुए अपनी निविदा वापस लेता है एवं/या निविदा की वैधता की अविध के भीतर निविदा स्वीकार करने के पश्चात अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा करी गयी बयाना राशि (ईएमडी) को संस्थान द्वारा जब्त किया जा सकता है।

17. a. The EMD of unsuccessful bidders shall be refundable to them after completion of the bidding process. However, the same shall be refunded within 30 days after the receipt of written request from the bidder concerned in this behalf.

बोली लगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि बोलीदाता के लिखित अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लौटा दी जाएगी।

b. The EMD should be valid for a period of minimum three months.

ईएमडी न्यूनतम तीन महीनों की अवधि के लिए मान्य होनी चाहिए।

c. The EMD of the bidder whose bid is finally accepted, shall be returned on deposit of the due security deposit as stipulated in the Terms & Conditions in Appendix B.

जिस बोलीदाता की बोली को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा, उसकी ईएमडी राशि को निर्धारित सुरक्षा राशि जमा करने के पश्चात ही वापस किया जाएगा।

#### Documents to be attached with the bid:

#### बोली के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़:

- 18. The bidder must enclose the EMD and self-attested copies of the following documents along with the bid. Any bid not accompanied by any of such documents may be liable to rejection:
  - a) Income Tax Registration Certificate/PAN No.
  - b) Last one year bank statement
  - c) Firm/Company Registration Certificate.
  - d) GST Registration Certificate/No.
  - e) EPF Registration Certificate/Code No./ESI Registration Certificate/Code No.
  - f) Other Statutory Registrations/Licenses, if any.
  - g) Bank Solvency Certificate.
  - h) Details/particulars of the firm submitting the bid in Annexure-1(Part I, II & III)
  - i)Total number of outlets and details of outlets not exceeding five presently being run by the bidder.
  - j)Audited balance sheet and profit and loss accounts along with gross turnover and profit for the last three financial years.
  - k) Authority/Resolution in favor of the person signing the bid on behalf of the firm submitting the tender.
  - 1) Bank Draft of Rs.10,000/- (TenThousand Only) towards EMD.
  - m) Address proof/aadhar Card of individual applicant/person signing the bid.
  - n) List of employees who will be working in the said shop
  - o) Other documents as may be deemed necessary and as is required under any other provision of the bid document and not mentioned herein above.

बोली लगाने वाले व्यक्ति को तकनीकी बोली (Technical bid) के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ-साथ एफडीआर/टीडीआर संलग्न करना होगा। उल्लिखित दस्तावेजों के बिना यदि कोई तकनीकी बोली (Technical bid) जमा की जाती है तो उसे सीधे तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

- a) आयकर प्रमाण पत्र/ पैन नम्बर
- b)पिछले एक साल के बैंक स्टेटमेंट
- c) फर्म कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र
- d)जी एस टी पंजीकरण प्रमाण पत्र नम्बर
- e) ईपीएफ पंजीकरण प्रमाण पत्र कोड नम्बर/ ईएसआई पंजीकरण प्रमाण पत्र कोड नम्बर
- f)अन्य वैधानिक पंजीकरण लाइसेंस )यदि कोई है(
- g)बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट
- h)अनुलग्नक -1 में बोली जमा करने वाली फर्म का विवरण (पार्ट I, II & III)
- i)दुकानों की संख्या एवं दुकानों का विवरण )वर्तमान समय में पाँच से अधिक दुकानों का संचालन न कर रहा हो(
- j)अंकेक्षित तुलन पत्र के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के कुल कारोबार एवं लाभ सहित लाभ एवं हानि खाता का प्रमाण पत्र
- k) निविदा जमा करने वाली फर्म की ओर से निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में अधिकार पत्र/संकल्प पत्र
- I)अग्रिम जमा राशि के रूप में 10,000 (दस हजार रूपये( की एफडीआर/टीडीआर ।
- m) व्यक्तिगत आवेदक का पते का सबूत/आधार कार्ड
- n)फर्म / व्यक्ति के साथ काम करने वाले कर्मचारियों की विवरण / सूची
- o)निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक आवेदक/व्यक्ति के 'आधार' की छायाप्रति
- p)आवश्यक समझे जाने वाले अन्य दस्तावेज जो निविदा दस्तावेज प्रावधानों के तहत अनिवार्य हों तथा जिनका उल्लेख उपर न किया गया हो।

#### Submission of Bid/बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:

- 19. The bid shall be submitted in two parts i.e. Technical Bid and the Financial Bid in the following manner:
  - a. Technical Bid: The Technical bid shall consist of entire Tender document i.e. Appendix-A, Appendix-B and Annexure-1. Along-with it, all the documents as detailed in point 17 above ('a' to 'p') should also be attached. The Technical bid shall be submitted in a sealed envelope, superscripted, "TECHNICAL BID FOR RUNNING PROVISION STORE AT SHOP NO.1, HALL OF RESIDENCE- XIII, IIT CAMPUS".

बोली निम्नलिखित तरीके से दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी: तकनीकी बोली और वित्तीय बोली तकनीकी बोली: तकनीकी बोली में संपूर्ण निविदा दस्तावेज शामिल होंगे जिसमें परिशिष्ट-ए, परिशिष्ट-बी और अनुबंध-1( भाग I, II एवं III) शामिल है। साथ ही, ऊपर दिए गए बिंदु 17 ('ए' से 'पी') में बताए गए सभी दस्तावेजों को भी निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। तकनीकी बोली को एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिस पर लिखा हो " आईआईटी कैंपस के छात्रावास XIII की दुकान सं.1 में प्रोविशन स्टोर चलाने हेतु तकनीकी बोली"

#### b. Financial Bid:

i. The Financial bid shall be submitted in Annexure-2.

## वित्तीय बोली अनुलग्नक -2 में जमा की जाएगी

ii. The base License fee (base rate) for bidding shall be **Rs.88/-per square meter** as on the date of submission of bids. As such, the bidders have to quote their financial bids over and above the said base rate. बोली लगाने के लिए आधार लाइसेंस शुल्क (आधार दर) **88/-** रुपये प्रति वर्ग मीटर होगा। बोलीदाताओं को अपनी वित्तीय बोलियां आधारभूत दर से अधिक दर पर उद्धृत करनी होंगी।

iii. Any bid submitted at par or below the base rate shall not be entertained and be summarily rejected. आधार दर के बराबर या नीचे दिए गए वित्तीय बोली को संक्षेप में खारिज कर दिया जाएगा।

iv. The Institute shall be entitled/ competent to deposit the License fee equivalent to the base rate of License fee to the Institute Accounts as per norms and the rest i.e. the balance License fee realized out of the higher rate as determined finally in the bid shall be deposited to any other head at the discretion of the Institute.

संस्थान को लाइसेंस शुल्क की मूल दर के बराबर लाइसेंस शुल्क संसथान के मद में जमा करने का हक होगा और शेष राशि संस्थान के ही किसी अन्य उचित मद में जमा करने का अधिकार भी संसथान को होगा.

v. The Financial bid should be put in a separate sealed envelope superscripted, "FINANCIAL BID FOR RUNNING PROVISION STORE IN HALL OF RESIDENCE-XIII at IIT CAMPUS". Both the Technical Bid and the Financial Bid shall further be put in another larger single sealed envelope and dropped in the tender box kept in the Estate Office, Room No. 101-B (Faculty Building), IIT Kanpur.

वित्तीय बोली को एक अलग मुहरबंद लिफ़ाफ़ में रखा जाना चाहिए जिस पर लिखा हो "आईआईटी कैंपस में छात्रावास XIII में प्रोविशन स्टोर चलाने हेतु वित्तीय बोली"

तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों को एक और बड़े एकल सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा जिसे निर्धारित(पृष्ठ 3-4 देखें) किये गए समय तक एस्टेट कार्यालय, कमरा सं। 101-डी (फैकल्टी बिल्डिंग) में प्राप्त किया जाएगा।

- vi. Any bid containing Technical Bid and Financial Bid in same envelope shall be summarily rejected. एक ही लिफाफ में तकनीकी बोली और वित्तीय बोली डालने वाले किसी भी बोली दाता की बोली को संक्षिप्त रूप से खारिज कर दिया जाएगा।
  - **vii.** Any bid received after the aforesaid date and time shall be summarily rejected and will not be considered under any circumstances, whatsoever and no explanation to the effect that delay in submission has been caused due to postal lapse, shall be entertained.

यदि उल्लिखित तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी निविदा प्राप्त होती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण )जैसे कि डाक की गलती से निविदा जमा करने में देरी हुई है( पर विचार नहीं किया जाएगा।

viii. The tender will remain valid for 30 days from the date of opening. After submission of the bid, it shall be deemed that the bidder has undertaken to keep its tender open for acceptance for the entire period of 30 days and will have no right to withdraw the same before expiry of the said period. In case, intimation of its acceptance is issued to the Licensee at a later date, the bidder shall be competent to refuse.

निविदा खुलने के पश्चात निविदा प्रक्रिया 30 दिन के लिए वैध होगी। निविदा जमा करने के पश्चात यह माना जाएगा कि बोली लगाने वाले व्यक्ति ने 30 दिन की अविध की स्वीकृति हेतु अपनी निविदा को खुला रखा है। इस प्रकार 30 दिन की अविध समाप्त होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में उसे अपनी निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि 30 दिन की अविध के पश्चात ठेकेदार को इसकी स्वीकृति की सूचना दी जाती है तो बोली लगाने वाला व्यक्ति इसे मना करने का हकदार होगा।

## Opening of Bids /निविदाओं का खुलना

22. First of all, the Technical bids will be opened on the stipulated date and time as mentioned on page no.3-4 of this document in Room No. 101-B, Faculty Building in the presence of authorized representative(s), if any, of bidding parties and the Members of Tender Committee of the Institute. The bidders will also be required to meet the Committee for presentation (to satisfy all material questions pertaining to their company/firm and their modus-operandi etc.), interview and finalization of the offer.

Thereafter, financial bids of all the technically qualified bidders only will be opened on the stipulated date and time as mentioned on page no. 3-4 of this document, in Room No. 101-B, Faculty Building and considered.

सबसे पहले, बोली लगाने वाले अधिकृत प्रतिनिधि)यों( और संस्थान की निविदा सिमिति के सदस्यों की मौजूदगी मे, निर्धारित दिन एवं समय पर (पृष्ठ 3-4 देखें) तकनीकी निविदायें खोली जाएगीं, । बोली लगाने वाले व्यक्तियों को )अपनी कंपनी/फर्म एवं कार्य-प्रणाली से सिमिति को संतुष्ट करने के लिए) अपने प्रस्तुतिकरण, साक्षात्कार एवं ऑफर को अंतिम रूप देने के लिए सिमिति के समक्ष प्रस्तुत होना होगा।

इसके पश्चात केवल उन्हीं बोली लगाने वाले व्यक्तियों की वित्तीय निविदा, निर्धारित तारीख और समय पर (पृष्ठ नंबर 3-4 पर उल्लिखित) खोली जाएगीं जिन्होंने तकनीकी निविदा की सभी शर्तों मे योग्यता प्राप्त की हो।

23. The party, whose tender is accepted, will have to sign an agreement within 10 days of the award of contract, failing which the Earnest Money deposited by it will be forfeited and the acceptance of its tender may be annulled at the discretion of the Institute.

निविदा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ठेका मिलने के 10 दिन के अन्दर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे । यदि संबंधित व्यक्ति 10 दिन के अन्दर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है तो उसकी अग्रिम जमा राशि को जब्त समझा जाएगा तथा संस्थान के विवेकाधिकार पर निविदा को रद्द माना जाएगा।

## Evaluation Criteria for Bid Evaluation / निविदा मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन मानदंड

24. The Financial bids of only such bidders whose bids qualify in their technical evaluation will be opened. A price advantage factor in the range e.g. 0.8 to 1.2 may be assigned to the bidders during technical bid evaluation based on the past performance or perceptive brand value. The financial bids of only the technically qualified bidders will be opened. The contract will be awarded to the bidder who will have the highest of the (Price adjustment factor x rate offered by the bidder).

पिछले प्रदर्शन या ब्रांड वैल्यू के आधार पर तकनीकी बोली मूल्यांकन के दौरान बोली लगाने वालों को 0.8 से 1.2 की श्रेणी में मूल्य लाभ फैक्टर सौंपा जा सकता है। केवल तकनीकी मूल्यांकन मे योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। जिस बोलीदाता का योग (मूल्य समायोजन फैक्टर X बोलीदाता द्वारा दी गई दर) अधिकतम होगा, निविदा उस बोलीदाता को सौंपी जाएगी।

## Acceptance/Non-acceptance of bids/ निविदा की स्वीकृति/अस्वीकृति

- 25. The tenders that do not fulfill any of the above conditions or are incomplete in any respect, are liable to be rejected. ऐसी निविदाएं जो उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करतीं अथवा किसी भी रूप मे अधूरी हैं, को निरस्त माना जाएगा।
- 26. The Institute reserves the right to accept or reject any or all tenders without assigning any reasons thereof and the bidder shall have no right, whatsoever, to challenge the same.

  बिना कोई कारण बताए संस्थान के पास किसी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार/ अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। अतः बोली लगाने वाले व्यक्ति के पास इसको चुनौती देने के अलावा अन्य कोई अधिकार नहीं होगा।

Signature of the Tenderer निविदाकार के हस्ताक्षर	Paste passport size photograph here
Name	
नाम	
Full Address & Telephone/Mobile No	

पूरा पता एवं दूरभाष/मोबाइल नम्बर <u></u>	

## अनुबंध संबंधी नियम एवं शर्तै/TERMS & CONDITIONS OF CONTARCT

#### Scope of Contract/ अनुबंध का दायरा

The contract comprises the necessary arrangement of general daily provision items for the Institute students and campus residents. This will also include transportation, cost of materials and labor. The Licensee shall make its own arrangement for safe storage of materials and accommodation for its staff etc.

अनुबंध में आईआईटी छात्रों और समुदाय के लिए प्रोविशन स्टोर मे बिकने वाले सभी प्रकार के आइटम की सुविधा प्रदान करना शामिल है। इसमें परिवहन, सामग्री और श्रम की लागत भी शामिल होगी। लाइसेंसधारक अपने समान के सुरिक्षित भंडारण एवं कर्मचारियों के समायोजन के लिए स्वयं व्यवस्था करेगा।

## Definitions/ परिभाषा

1. In the contract, the following definitions, words and expressions shall have the meaning hereby assigned to them except where the contract requires the same otherwise.

इस अनुबंध में निविदाकारों के लिए निम्नलिखित परिभाषा, शब्द एवं अभिव्यक्तियां विनिर्दिष्ट की गई हैं। अनुबंध में उल्लिखित का ही प्रयोग किया जाएगा।

- a. "CEMMC" means "Commercial Establishments Monitoring & Management Committee" constituted by the Director of the Institute.
- सी.ई.एम.एम.सी. का तात्पर्य निदेशक द्वारा गठित 'व्यावसायिक प्रतिष्ठान जाँच एवं प्रबंधन समिति' से है ।
- b. "Contractor" means the person or persons, firm or company whose tender has been accepted by the Institute and includes the contractor's personal representative, successors and permitted assigns. कांट्रेक्टर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, फर्म या कंपनी से है जिसकी निविदा संस्थान द्वारा स्वीकृत की गई हो। इसमें ठेकेदार के व्यक्तिगत प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी एव स्वीकृत वारिस शामिल होंगे।
- c. "Director'' means the Director of the Indian Institute of Technology, Kanpur. निदेशक से तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के निदेशक से है ।
- d. "Institute'' means the Indian Institute of Technology, Kanpur through its Director or his representative. संस्थान का तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से है जिसका प्रतिनिधित्व निदेशक अथवा उसका प्रतिनिधि करेगा।
- e. "Officer-in-charge (Estate)" means the Officer-in-charge (Estate) of the Indian Institute of Technology, Kanpur who directs and administers the contract.
- प्रभारी अधिकारी )संपदा( का तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के संपदा कार्यालय के प्रभारी-अधिकारी से है जो इस अनुबंध से संबंधित समस्त प्रशासनिक कार्रवाई को निष्पादित करेंगें।
- f. "Warden" means the Warden In-charge of Hall of Residence-XIII and includes other Wardens of the said Hall.
- वार्डेन से तात्पर्य छात्रावास XIII के वार्डेन-इंचार्ज तथा अन्य वार्डेन से है।

## Documents Forming the Contract/ अनुबंध संबंधी दस्तावेज

3. Appendix A, i.e., the Guidelines for bidders, Appendix B, i.e., terms and conditions of the contract, application/declaration in Annexure 1 (Part I & II), the schedule of items/services and prices filled in Annexure 1 (part III), Annexure 2 containing the rate quoted by the licensee and the letter containing offer of award of tender issued by the Institute to the successful bidder and its acceptance shall be integral part of this contract.

परिशिष्ट A अर्थात् निविदाकारों हेतु दिशा-निर्देश, परिशिष्ट B अर्थात् अनुबंध संबंधी नियम एवं शर्तें, अनुलग्नक 1 (भाग III) में भरे आइटम / सेवाओं और कीमतों का शेड्यूल, अनुलग्नक 2 में बोलीदाता द्वारा घोषित की गयी बोली दर, सफल निविदाकार को निविदा से संबंधित जारी किया गया प्रस्ताव पत्र एवं उस पत्र के जवाब में सफल निविदाकार का स्वीकृति पत्र इस अनुबंध-पत्र का आंतरिक हिस्सा होंगे।

## Duration of the contract/ अनुबंध की अवधि

4. The duration of contract will be for **one year, initially,** from the date of signing the contract, first three months being the probation period and on satisfactory completion of the probation period, the contract will automatically be extended for rest of the year i.e. nine months. Further, the contract shall be annually extended (one year at a time) for two more years based on past performance. Under no circumstances shall the contract be extended for more than five years.

शुरू में, संविदा की अविध अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से लेकर एक साल तक के लिए होगी। इस अविध के पहले तीन महीने निविदाकार के लिए परिवीक्षा की अविध होंगे और परिवीक्षा अविध के संतोषजनक समाप्त होने पर, अनुबंध को स्वचालित रूप से शेष वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, अर्थात् नौ महीने । इसके अलावा, पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध दो साल तक बढ़ाया जाएगा (एक बार में एक वर्ष के लिए)। किसी भी परिस्थिति में अनुबंध पांच साल से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा.

# <u>Licence Fee, Electricity Charges & Other Provisions for Licensed premises /</u> लाइसेंस शुल्क, विद्युत शुल्क एवं लाइसेंसधारी भवन के लिए अन्य प्रावधान

5. The Licensee shall be liable to pay the **license fee and cleaning charges of Rs.250/- per month regularly by** 7<sup>th</sup> **of each successive month**. The monthly License fee is inclusive of water charges. The License fee may change from time to time at the discretion of the Institute.

लाइसेंसधारक को हर **महीने की** 7 **तारीख को नियमित रूप से लाइसेंस शुल्क एवं 250/- प्रति माह सफाई शुल्क का भुगतान करना होगा** जिसमें पानी के बिल का खर्च भी शामिल है । संस्थान के निर्णयनुसार उक्त लाइसेंस शुल्क में समय-समय पर परिवर्तन होगा ।

- 6. In case of failure to pay the License fee within the stipulated time as aforesaid, the contractor shall be liable to pay a sum of Rs. 100/- p.m. over and above the License Fee on cumulative basis towards delay charges. यदि उल्लिखित अवधि के दौरान लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो लाइसेंसधारक को लाइलेंस शुल्क के अतिरिक्त संचयी आधार पर विलंब शुल्क के रूप में रु 100/- प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान करना होगा।
  - 7. Besides, the contractor shall also be liable to pay the electricity charges on actual consumption basis to the Estate Office at the then prevailing rates along with the payment of monthly Licence fee. For the purpose, there shall be a meter installed in the shop by the Institute. The electricity charges shall however, be subject to revision/change from time to time which shall be payable by the contractor as aforesaid at the then prevailing rates.

लाइसेंसधारक को वास्तविक बिजली खपत के आधार पर उस समय की बिजली दर के अनुसार संपदा कार्यालय में बिजली बिल का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त ठेकेदार को मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान भी करना होगा। इस उद्देश्य हेतु संस्थान द्वारा दुकान में एक मीटर लगाया जाएगा। बिजली की दरों में समय-समय पर परिवर्तन/संसोधन हो सकता है। ऐसी स्थिति में लाइसेंसधारक को उस समय की परिवर्तित दरों के हिसाब से बिजली बिल का भुगतान करना होगा।

8. However in case of non-payment of electricity charges in time, the contractor shall be bound to pay a penalty towards belated payment @ 5% per month of actual dues (to be rounded off) over and above the bill.

यदि लाइसेंसधारक समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करता है तो उसे वास्तविक देय )बिल( के अतिरिक्त उसका 5 प्रतिशत बिलंब शुल्क के रूप में देना होगा।

- 9. Non-payment of Licence fee, the electricity charges and cleaning charges within time shall be deemed to be a serious breach of the contract and may lead to termination of the contract at the discretion of the Institute. यदि लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस शुल्क, बिजली का शुल्क एवं सफाई शुल्क का समय पर भुगतान नहीं किया जाता तो इसे अनुबंध की शर्तों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संस्थान अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए उल्लिखित अनुबंध को समाप्त कर सकता है।
- 10. The contractor shall use the premises ONLY for which it has been given by the Institute under the contract. The use of the premises for other purposes will lead to the suspension/termination of the contract. लाइसेंसधारक संबंधित परिसर का प्रयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करेगा जिस के लिए संस्थान द्वारा उसे यह परिसर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि लाइसेंसधारक अन्य किसी दूसरे उद्देश्य के लिए परिसर का प्रयोग करता है तो उल्लिखित अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा।
  - 11. The contractor shall not use the premises for residential purposes or for any other purposes (including vending of any item other than those for which permission has been given) without prior written permission of the Estate Office. The contractor shall always use the premises in a prudent and careful manner as if it were his own.

संपदा कार्यालय की पूर्व लिखित अनुमित के बगैर लाइसेंसधारक इस परिसर का इस्तेमाल आवासीय उद्देश्य अथवा )अनुबंधित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं बचने सिहत( अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं करेगा । ठेकेदार परिसर का इस्तेमाल ऐसे बुद्धिमानी एवं सावधानीपूर्वक तरीके से करेगा जैसे कि यह परिसर उसका खुद का हो।

#### **Assignment & Subletting:**

## नियत कार्य एवं किराये पर लिये हुए को किराये पर उठाना

12. The contractor shall not assign the contract or any part thereof or any benefit or interest thereon or thereunder without written consent of the Institute. The whole of the charge included in the contract shall be executed by the Contractor or his authorized competent representative(s). The contractor shall be responsible for the acts, defaults and neglects of its workmen, fully being deemed as those of the contractor itself.

संस्थान की लिखित अनुमित के बगैर ठेकेदार इस पिरसर अथवा इसके किसी भाग को अन्य व्यक्ति के सुपुर्द नहीं करेगा और न ही इससे किसी प्रकार का लाभ अथवा इस पर या इसके अंतर्गत ब्याज हासिल करेगा। इस अनुबंध के तहत समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन स्वयं लाइसेंसधारक या फिर उसके अधिकृत एवं सक्षम प्रतिनिधि)यों( द्वारा किया जाएगा। लाइसेंसधारक अपने किमेयों के कार्यों, गलितयों एवं लापरवाहियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। उक्त समस्त कार्यों के लिए लाइसेंसधारक स्वयं जिम्मेदार माना जाएगा।

13. If at any time, it is detected that the shop has been sublet or assigned to any other entity by the contractor, the Institute would be at liberty to terminate the contract forthwith without giving any time to the contractor and further to take over the possession of the given premises and/or to hand over the same to any other party at its sole discretion.

यदि कभी भी यह पाया जाता है कि लाइसेंसधारक द्वारा दुकान को किराये पर दिया गया है या किसी अन्य संस्था के सपुर्द किया गया है तो उल्लिखित अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा।

- 14. The entire business of the shop shall be carried out in the name and at the behest of the contractor. दुकान का समस्त कारोबार लाइसेंसधारक के नाम एवं उसके आदेश पर ही निष्पादित किया जाएगा।
  - 15. The contractor or his authorized/competent representative whose intimation would be provided in writing in advance to the Estate Office, shall at all times be available in the shop and the business of the shop shall not be carried out by any other person/ entity under any circumstances.

लाइसेंसधारक या उसके अधिकृत/सक्षम प्रतिनिधि कैंटीन में हर समय उपलब्ध रहेंगे और ऐसे अधिकृत/सक्षम प्रतिनिधि की सूचना संपदा कार्यालय को पहले से लिखित में दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में कैंटीन का कारोबार किसी अन्य व्यक्ति अथवा कंपनी द्वारा नहीं किया जाएगा।

16. In normal course, the contractor or his authorized competent person should be available in the shop. However if for any reason, the contractor is not in a position to be available in the shop consecutively for more than 3 days, a prior permission will have to be obtained from the Estate Office, failing which, it will be deemed that the contractor has violated an essential condition of the contract and the contractor may be dealt with in an appropriate manner for this fault which may include adequate penalty at the discretion of the Institute.

आमतौर पर लाइसेंसधारक या उसके अधिकृत सक्षम व्यक्ति को दुकान में मौजूद रहना होगा। हालांकि यदि किसी कारण से लाइसेंसधारक लगातार तीन दिन से अधिक समय तक दुकान मे आने की स्थिति में नहीं है तो इस संबंध में संपदा कार्यालय की पूर्व अनुमित प्राप्त करनी होगी। ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि लाइसेंसधारक द्वारा अनुबंध की अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन किया गया है तथा इस स्थिति में उसके विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्रवाई में संस्थान के निर्णयानुसार पर्याप्त अर्थदंड भी शामिल हो सकता है।

# Provision shop Timing, Payment Terms, Facilities and Services etc./ दुकान का समय, भुगतान की शर्तें, सुविधाएं एवं सेवाएं आदि

- 17. The provision store shall operate from 10:00 a.m. to 09:00 p.m. Running the shop prior to 10:00 a.m. or beyond 09:00 p.m. shall be carried out only with the prior permission of the Estate Office.
- दुकान का समय सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक होगा । रात्रि 9 बजे के पश्चात या सुबह 10 बजे से पहले दुकान का संचालन करने के लिए संपदा कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।
  - 18. One day of the week the shop may be closed in terms of any law being in force, however, Sunday cannot be non-working day. The following days of the year the shop shall be kept closed: 26 Jan, 2 Oct, 15 August. Other days on which the shop will be kept closed, will have to be authorized by the Estate office.

सप्ताह के एक दिन दुकान किसी भी कानून के लागू होने के मामले में बंद हो सकती है, हालांकि, रविवार गैर-कार्य दिवस नहीं हो सकता है। साल के इन दिनों मे दुकान बंद रखी जाएगी: 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त। यदि किसी अन्य दिन दुकान बंद रखनी हो तो इसकी अनुमति सम्पदा कार्यालय से प्राप्त करनी होगी।

19. All necessary furniture and other infrastructure shall be provided by the concerned Hall on behalf of the Institute

समस्त आवश्यक एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं संस्थान के आदेश पर संबंधित छात्रावास द्वारा उपलब्ध कराईजाएगी।

- 20. Facility of Payment by credit, debit and ATM cards, UPI should be made available. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड एवं यूपीआई द्वारा भगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
  - 21. Installation of 4 digit campus telephone (via Sanchar Vibhag of IITK) should be made by the contractor adopting appropriate procedure within 10 days from the signing of contract. The charges for the installation and rental shall be borne by the contractor. The contractor should additionally have own mobile number(s) as well as its shop personnel for contact by the Institute Authorities.

The contractor shall display its 4 digit campus telephone no. at one top end of the notice board displaying prices of the items. Further, the licensee shall maintain a display board on its shop of size 12 inches x 18 inches which shall contain the following information:

अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 10 दिन के पश्चात उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए लाइसेंसधारक द्वारा )संस्थान के संचार विभाग के माध्यम से) 4 डिजिट वाला कैंपस टेलीफोन लगवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर भी रखना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर संस्थान के अधिकारी संपर्क कर सकें। ठेकेदार द्वारा बेचे जाने वाले आइटम की दर-सूची को प्रदर्शित करने वाले बोर्ड के उपरी किनारे पर इस 4 डिजिट कैंपस टेलीफोन का नम्बर दर्शाया जाएगा। साथ ही एक 12 इंच X 18 इंच का बोर्ड भी दुकान पे लगाना अनिवार्य है जिस पर निम्नलिखित

जानकारी हो:

Name/ नाम:

Shop No & location/ दुकान संख्या & स्थान:

Mobile Number/ मोबाइल:

Land Line Number/ दूरभाष:

Timings/ दुकान का समय:

Weekly off/साप्ताहिक बंदी:

License No/ लाइसेन्स नंबर:

Valid Up to/ वैधताः

22. Safety standards should be maintained. Fire extinguishers (2 Kg & 4.5 Kg dry type), sand buckets, should be installed in accessible places and should be in working conditions. List of emergency number should be displayed in a prominent place. First aid measures should also be available for emergencies.

सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना चाहिए। अग्निशामक (2 कि.ग्रा. एवं 4.5 कि.ग्रा. सूखा( एवं रेत से भरी हुई बाल्टी सुलभ जगह पर उपलब्ध होनी चाहिए तथा चालू हालत में होनी चाहिए। आपातकालीन नम्बरों को प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। आकस्मिक स्थिति के लिए प्राथमिक चिकित्सा संबंधी दवाईयां एवं अन्य समान उपलब्ध होने चाहिए।

23. Small set of services/items for sale along with the price list should be prominently displayed in legible font. All items in price list should be made available to the customer.

बेचे जाने वाले आइटम एवं उनकी दरों से सबंधित सूची को पठनीय फॉन्ट मे दुकान के प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऐसे प्रपत्र मे लिखित सभी वस्तुओं को ग्राहकों को उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

24. The Contractor shall have to provide proper and smooth services to the customers to their satisfaction. लाइसेंसधारक को ग्राहकों की संतुष्टि के लिए उपयुक्त एवं निर्विध सेवाएं उपलब्ध करानी होगीं।

25. Any loss to the Campus residents with regard to the services provided by the contractor shall be the responsibility of contractor. The Institute shall be indemnified in this regard and shall not be a part of any legal proceedings thereto.

लाइसेंसधारक द्वारा परिसरवासियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए लाइसेंसधारक स्वयं उत्तरदायी होगा। संस्थान की इसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही संस्थान इस संबंध में होने वाली किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में भागीदार होगा।

26.All the items prescribed as per the tender agreement should be made available at all times. Permission for any alteration, addition or deletion should be obtained from estate office along with the prices of respective items.

निविदा अनुबंध के अनुसार निर्धारित समस्त प्रकार के आइटम हर समय दुकान में उपलब्ध होने चाहिए। आइटम की सूची मे किसी भी प्रकार के परिवर्तन अर्थात् जोड़ या घटाव के लिए संबंधित आइटम की दर के साथ संपदा कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

27. For the consumers who are not willing to pay in cash, the contractor shall facilitate with a swipe payment machine and shall also provide in the shop the UPI based payment system. **Paymnet though BHIM** app cannot be refused to any customer. The contractor shall further display its VPA (virtual payment address) or Q-Code on the display board to enable the consumers do the payments via UPI App (BHIM or equivalent).

नगद भुगतान करने में असमर्थ ग्राहकों के लिए लाइसेंसधारक को स्वाइप मशीन उपलब्ध करानी होगी। इसके अतिरिक्त दुकान के अन्दर UPI आधारित पेमेंट सिस्टम भी उपलब्ध कराना होगा। यदि कोई ग्राहक BHIM द्वारा पेमेंट करे को लाइसेंसधारक इंकार नहीं करेगा । लाइसेंसधारक को स्क्रीन पर अपने VPA )वर्चुअल पेमेंट एड्रेस( अथवा Q-Code प्रदर्शित करना होगा ताकि ग्राहक UPI ऐप )भीम अथवा समकक्ष( के माध्यम से अपना भुगतान करने में समर्थ हो सके।

## Liability of GST and Other Taxes/ जी एस टी अथवा अन्य करों की देयता

28. The contractor shall be absolutely liable for payment of GST to the respective department on items sold in the shop. The Institute shall have no liability, whatsoever, in this regard and shall be deemed to be immune and indemnified in all respects.

लाइसेंसधारक संबंधित विभाग को दुकान के अन्दर विक्रय की गई वस्तुओं पर जीएसटी के भुगतान के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी होगा । इस संबंध में संस्थान हर प्रकार की देयता से मुक्त समझा जाएगा ।

29. The contractor shall further be liable to pay to the Institute GST at the rate applicable from time to time on the Licence fee payable by it. **The GST shall be payable over and above the Licence Fee** and the Office concerned shall issue a Tax invoice/receipt with GSTIN to the vendor in confirmation thereof, for accounting purposes.

इसके अतिरिक्त समय-समय पर लागू दर के हिसाब से ठेकेदार को लाइसेंस शुल्क पर संस्थान को जीएसटी का भुगतान करना होगा । लाइसेंसधारक को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा तथा संबंधित कार्यालय लाइसेंसधारक को लेखा उद्देश्य हेतु जीएसटी जमा करने संबंधी GSTIN सहित Tax invoice/receipt जारी करेगा।

30. The contractor shall also be liable to pay all other taxes, levies and other legal payables that may be applied by the Government, local authorities and other competent forums from time to time.

लाइसेंसधारक को सरकार, स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर लगाए जाने वाले अन्य करों,वसूली तथा दूसरी विधिक देयताओं का भुगतान भी करना होगा। 31. The contractor shall not tamper with the trees, plants, shrubs hedges, lawns and flowers standing or maintained on or around the said shop or in other places of the campus.

लाइसेंसधारक दुकान के आस-पास तथा परिसर में अन्य स्थलों पर लगे हुए पेड़, पौधों, झाडियों, बाड़ों तथा पुष्पों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

32. The contractor shall not make any addition or alteration to the building of the said shop/premises or tamper with the fittings or electrical installations therein, nor make any unauthorized constructions or extension to the electricity or water supply lines, without the specific written permission of the Licensor in this behalf.

लाइसेंसधारक संबंधित विभाग की पूर्व लिखित अनुमित के बगैर दुकान के अन्दर न तो किसी भी प्रकार का फेर-बदल )तोड़-फोड़( करेगा और न ही इसके अन्दर फिटिंग अथवा इलेक्ट्रिकल इन्स्टालेशन को नुकसान पहुँचाएगा और न ही दुकान के अन्दर अनिधकृत निर्माण अथवा विद्युत या जल आपूर्ति की लाइन में विस्तार करेगा।

#### Quality, hygiene & cleanliness / गुणवत्ता एवं स्वच्छता

- 33. The Licensee shall maintain the quality and availability of services. लाइसेंसधारक सर्विसेज की गुणवत्ता एवं उपलब्धता को बरकरार रखेगा ।
  - 34. The Licensee shall maintain full conditions of safe and secure storage in the shop, so as to maintain the standards and aesthetic values in the same. The Licensee shall also have to make his own arrangements for safe storage of materials.

लाइसेंसधारक दुकान में सुरक्षित भंडारण की पूरी स्थितियों को बनाए रखेगा, ताकि मानकों और सौंदर्य मूल्यों को बनाए रखा जा सके। लाइसेंसधारक को सामग्री के सुरक्षित भंडारण के लिए भी अपनी व्यवस्था करनी होगी.

35. The premises should be kept well ventilated and well lit. No display/encroachment is allowed outside the premises.

दुकान परिसर के अन्दर हवा एवं रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए । निर्धारित कीव गए परिसर के बाहर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण अथवा सामान रखने की अनुमित नहीं होगी।

36. Garbage and waste disposal should be done as per the institute norms. Pest/rodent control should be done regularly every six months.

कूड़े-कचरे तथा अपशिष्ट पदार्थों की संस्थान के मानकों के अनुरूप व्यवस्था करनी होगी। हानि कारक कीड़े -मकोड़ों तथा चूहों को नियंत्रित करने की व्यवस्था प्रत्येक छः माह के अन्तराल पर करनी होगी।

37. Usage of plastic bags is a strict NO and the same shall not be used any under circumstances, whatsoever. Instead use of Paper bags/plates/cups/etc. is encouraged. Cloth bags may be made available for users (at nominal charges).

प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है तथा किसी भी परिस्थिति में इनका प्रयोग नहीं होगा । इनके स्थान पर कागज़ के बैग/प्लेट्स/कप्स के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । ग्राहकों को बहुत मामूली दर पर कागज़ के थैलें उपलब्ध कराये जाने चाहिए ।

## Directives of CEMMC and Estate Office/ सीईएमएमसी एवं संपदा कार्यालय के दिशा-निर्देश

- 38. The contractor shall carry out the work in accordance with this contract and the directives of Officer-in-Charge (Estate) and to the satisfaction of the Director through the CEMMC. The CEMMC may, from time to time, issue further instructions, detailed directions and explanations in regard to:
- a. The variation or modification in the item list including additions/omission or substitution.

- b. The removal from the site of any material thereon by the contractor and the substitution of any other materials thereon.
- c. The removal from the work of any person employed thereupon in terms of the provision provided hereafter.
- d. Inspection of equipment and items.
- e. Maintenance of proper hygienic conditions, cleanliness and neatness pertaining to all aesthetic values.

लाइसेंसधारक को अनुबंध तथा कार्यालय-प्रभारी )संपदा( के दिशा-निर्देशों एवं सीईएमएमसी के माध्यम से निदेशक की संतुष्टि के अनुरूप कार्य करना होगा । सीईएमएमसी अधोलिखित के संबंध में समय समय पर अनुदेश, विस्तृत दिशा-निर्देश तथा अन्य स्पष्टीकरण जारी कर सकती है।

- )a) वृद्धि/विलोप अथवा प्रतिस्थापना सहित आइटम सूची की दरों में कसी भी प्रकार का फेरबदल अथवा परिवर्तन
- )b) लाइसेंसधारक द्वारा साइट से कोई आइटम हटाना एवं उस आइटम के बदले अन्य आइटम बेचना।
- )c( भविष्य में लागू प्रावधानों के कारण वर्तमान में नियुक्त किसी कर्मचारी को कार्य से हटाना ।
- )d( उपकरणों एवं आइटम का निरीक्षण ।
- )e( स्वच्छता, शुद्धता एवं उचित स्वास्थ्यकर संबंधी वातावरण का रखरखाव।

## Deployment of Workmen /कर्मियों की नियुक्ति

- 39. The contractor shall employ only such persons in the shop who are careful, skilled, experienced in their trades, dutiful, sober, well behaved and rules compliant.
- दुकान संचालित करने के लिए ठेकेदार केवल ऐसे कर्मियों को ही नियुक्त करेगा जो अपने कार्य में कुशल, अनुभवी, आज्ञाकारी, सुशील,व्यवहार कुशल एवं नियमों को मानने वाला हो।
- 40. Worker(s) in the shop shall be deployed after his/her deployment is cleared by the Estate Office and for this purpose, the contractor shall provide their details in the given format.

दुकान में कर्मियों को नियुक्त करने से पूर्व ठेकेदार को संपदा कार्यालय से उनकी नियुक्ति से संबंधित अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इस कार्य के लिए लाइसेंसधारक को प्रदत्त प्रपत्र में संबंधित कर्मियों का विवरण उपलब्ध कराना होगा ।

- 41. The contractor shall neither employ any child labour nor any worker who is below 18 years of age. लाइसेंसधारक बच्चों तथा 18 साल से कम उम्र के कर्मियों की नियुक्तिनहीं करेगा।
- 42. No female employee shall be allowed to work in the shop during night i.e. beyond 8:00 pm. रात्रि 8 के बाद महिला कर्मियों को दुकान के अन्दर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
- 43. All the workers shall invariably carry their ID Cards (to be provided by the contractor at its own costs) and shall be produced to the security personnel and other Institutes authorities, whenever asked for. दुकान के अन्दर कार्य करने वाले कर्मियों को हमेशा अपने साथ पहचान पत्र रखना होगा। कर्मियों को यह पहचान पत्र लाइसेंसधारक द्वारा स्वय के खर्च पर उपलब्ध कराना होगा। सुरक्षा कर्मियों एवं संस्थान के अन्य अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर दुकान कर्मी को यह पहचान पत्र दिखाना होगा।
- 44. The workers in shop will be provided uniforms by the contractor during the working hours at its own cost and they will be unfailingly required to wear in neat and tidy manner the uniforms during working hours. कार्य अविध के दौरान दुकान के अन्दर सेवाएं देने वाले किर्मयों को लाइसेंसधारक स्वयं के खर्च पर यूनिफॉर्म उपलब्ध करायेगा। कार्य-अविध के दौरान किर्मी साफ-सुथरे एवं व्यवस्थित तरीके से हमेशा उक्त यूनिफॉर्म के पहनकर रखेगा।

45. The Contractor shall be absolutely responsible for strict adherence of discipline and good conduct by its workers

कर्मियों द्वारा आचरण तथा अनुशासन का कड़ाई से अनुपालन कराने की जिम्मेदारी पूर्णतया लाइसेंसधारक की ही होगी।

46. The contractor shall be bound to remove any such worker and disallow him/her from entering into the Institute premises whom the Institute does not deem appropriate to continue within the Institute premises for administrative or any other reasons.

लाइसेंसधारक आचरण तथा अनुशासन का कड़ाई से अनुपालन न करने वाले कर्मी को दुकान से निकालने के लिए बाध्य होगा तथा संस्थान, प्रशासनिक अथवा अन्य कारणों से जिन कर्मियों को परिसर के अन्दर जारी रखना उपयुक्त नहीं समझता, उनका प्रवेश पूर्णतया वर्जित रहेगा।

47. The contractor shall have absolute authority in regard to the engagement, disengagement, suspension, termination, retrenchment, dismissal and discharge etc. of its workmen and for all disciplinary actions against them. The contractor shall be responsible of master and servant relationship with its workmen and the Institute shall have no concern, whatsoever, with all the above mentioned matters.

लाइसेंसधारक अपने कर्मी को काम में लगाने, हटाने, निलंबित, निष्कासित, छटनी, बर्खास्ती एवं सेवामुक्त करने अथवा उनके विरूद्ध समस्त प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पर्णरूप से स्वतंत्र होगा। लाइसेंसधारक अपने कर्मियों के संदर्भ में मालिक तथा नौकर के संबंधों के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा तथा संस्थान का उल्लिखित मामलों में किसी भी प्रकार का कोई सकोकार नहीं रहेगा।

48. The contractor shall be absolutely liable in regard to any dispute or other matters concerning its workmen which are initiated in any forum or court of law and shall further be liable to meet and discharge all the liabilities that may arise on account of its relationship with its worker from the decisions of any court including all liabilities as are thrust upon by virtue of the provisions of any labor law being in force at the time besides other statutory liabilities.

लाइसेंसधारक अपने कर्मियों से संबधित ऐसे किसी भी विवाद अथवा मामले, जिनको किसी फोरम अथवा न्यायालय में चुनौती दी जाती है, के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा । ठेकेदार को अन्य सांविधिक देयताओं के साथ-साथ उस समय लागू श्रम कानून के प्रावधानों के तहत देय समस्त देयताओं का भुगतान करना होगा । इसके अतिरिक्त न्यायालय के निर्णय के आधार पर नौकर-मालिक के संबंधों के कारण उत्पन्न अन्य समस्त प्रकार की देयताओं का भी लाइसेंसधारक को भुगतान करना होगा ।

49. The contractor shall further be liable to make good the loss to the property of the Institute, if any that may be caused on account of any non responsible action on the part of its workers, whether deliberate or otherwise.

यदि लाइसेंसधारक के किसी कर्मी की गैर-जिम्मेदाराना हरकतों )चाहे जानबूझकर अथवा अनजाने में( की वजह से संस्थान की सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुँचता है तो इसकी भरपाई स्वयं ठेकेदार को करनी होगी ।

## <u>Compliance of Statutory Obligations and Other Provisions /</u> सांविधिक बाध्यताओं एवं अन्य प्रावधानों का अनुपालन

50. It is understood that a number of enactments and laws would apply to the contractor, which are supposed to be complied by the contractor in letter and spirit and in particular to laws relating to minimum wages to worker, employees compensation and Goods and Service Tax etc.

यह सर्वविदित है कि लाइसेंसधारक पर कई प्रकार के नियम एवं कानून लागू होते हैं और लाइसेंसधारक से यह उम्मीद की जाती है कि वह इन नियम एवं कानूनों को अक्षरशः अनुपालन करेगा विशेषरूप से कर्मियों को न्यूनतम वेतन,कर्मचारी मुआवज़ा एवं जी एस टी आदि से संबंधित नियम एवं कानूनों के संबंध में।

51. The licensee shall ensure that no product shall be sold from the premises which is prohibited to be sold within the premises of an educational institute, as per the provisions of the Cigarette and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003.

लाइसेंसी पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि परिसर के अन्दर ऐसा कोई भी उत्पाद नहीं बिके जिसकी बिक्री सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद )विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन( अधिनियम 2003 के तहत पूर्णरूप से प्रतिबंधित हो।

52. The contractor shall be liable to ensure compliance of all enactments, rules, regulations and of other authorities besides the instructions of the Institute that may be in force from time to time including all the labour laws, employees compensation and the minimum wages etc.

लाइसेंसधारक को श्रम कानून,कर्मचारी मुआवजा एवं न्यूनतम वेतन के साथ साथ निवारण अधिनियम सहित संस्थान द्वारा समय-समय पर लागू निर्देशों के अतिरिक्त समस्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

53. The Contractor shall be liable to make good the losses in financial terms that it may be subject to from time to time on account of any lapse on its part or arising out of statutory liabilities including the dues towards the workers in regard to wages, court awards, compensation which are caused to be paid/borne by the Institute due to the contractor's failure, as well as the Institute's license fee, electricity charges and other dues etc. The contractor shall pay all such dues to the Institute within fifteen days from the receipt of letter issued by the Institute in this behalf failing which; the same would be recovered/realized from the contractor's security deposit.

लाइसेंसधारक को ऐसी आर्थिक क्षित की भरपाई करनी होगी जो समय-समय पर ठेकेदार की गलती अथवा अन्य सांविधक देयताओं के कारण उत्पन्न हो सकती है। इस क्षित में वेतन के रूप में किर्मियों की देयताएं, न्यायलय द्वारा दिया गया अर्थदंड एवं मुआवजा शामिल हो सकता है। यदि ठेकेदार की विफलता के कारण संस्थान उक्त आर्थिक क्षिति की भरपाई करता है तो ऐसी स्थिति में लाइसेंसधारक को संस्थान प्रशासन द्वारा इस संबध में जारी किये गये आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर संस्थान को इस रािश का भुगतान करना होगा। उल्लिखि रािश का भुगतान न करने की स्थिति में इस रािश की वसूली लाइसेंसधारक द्वारा जमा की गई प्रतिभूति रािश से कर ली जाएगी।

54. The Institute shall be absolutely immune and deemed indemnified in all matters, claims, liabilities and legal consequences which relate to compliance of statutory provisions, rules and regulations, orders and directions of Govt. authorities/ municipal corporation/courts/forum etc. as well as the provisions of this contract agreement. In case, the Institute is put to bear any liability for lapses on the part of the contractor or for its illegal actions, the Institute would have the right to realize from the contractor all dues if those are in financial terms, and on other matters, in appropriate manner as it deems appropriate including adopting legal recourse.

संस्थानः सांविधिक प्रावधानों, नियमों और विनियमों, सरकारी प्राधिकारियों/नगर निगमों/ न्यायलयों/अदालतों के आदेशों एवं निर्देशों से संबंधित समस्त मामलों, दावों, देयताओं एवं कानूनी फैसलों के साथ-साथ इस अनुबंध के समस्त प्रावधानों से पूरी तरीके से मुक्त एवं सुरक्षित रहेगा। यदि ठेकेदार की विफलता अथवा उसके खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई के कारण संस्थान को किसी भी प्रकार की देयता वहन करनी पड़ती है तो फिर संस्थान ठेकेदार से वित्तीय देयताओं की वसूली करने के साथ साथ उसके विरूद्ध उपयुक्त कानूनी कार्रवाई का निर्णय भी ले सकता है।

55. The contractor would comply with all guidelines/instructions issued by the Officer In-charge (Estate) in consultation with the Chairman, CEMMC besides following other Institute Orders/ instructions of security authorities concerning the security/safety issues and Institute discipline.

सी ई एम एम सी के अध्यक्ष से विचार-विमर्श के पश्चात प्रभारी अधिकारी )संपदा( द्वारा जारी किए गये समस्त दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का लाइसेंसधारक द्वारा अनुपालन किया जाएगा । इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारक द्वारा सुरक्षा/संरक्षा एवं अनुशासन से संबंधित सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेशों/अनुदेशों का भी पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

56. The Contractor shall ensure that it and its employees' do not adversely affect the peaceful and congenial atmosphere of the Institute's premises.

लाइसेंसधारक इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि न तो वह स्वयं और न ही उसका कोई कर्मचारी संस्थान परिसर के शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण को दूषित करेगा ।

#### Security Deposit/ जमा प्रतिभूति

57. The contractor shall have to deposit a security of **Rs. 50,000/- (Rs. Fifty thousand only)** through FDR drawn in favor of "The Registrar, IIT Kanpur" payable at Kanpur, of any scheduled nationalized bank and which should be valid till three months after the completion of the contract duration.

लाइसेंसधारक को FDR के माध्यम से 50,000 (केवल पचास हजार रूपये( की प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी जो 'कुलसचिव भारतीय प्रौद्योगिकी कानपुर' के पक्ष में होनी चाहिए तथा कानपुर स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय हो। उक्त FDR की वैद्यता निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात 03 महीने की अविध के लिए होनी चाहिए।

58. If at any time, due to any reasons as mentioned in the foregoing clauses or otherwise, any short fall is caused to the security deposit money, the contractor shall be liable to make good such short fall within fifteen days of the receipt of notice in this behalf, through another FDR deposit as aforesaid.

यदि किसी भी समय तथा किसी भी कारण से (जिसका कि पूर्व के अनुच्छेदों अथवा कहीं और पर उल्लेख किया गया हो) जमा प्रतिभूति राशि में कोई कमी आती है तो ठेकेदार को इस संबंध में नोटिस प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर एक अन्य FDR जमा करके इस कमी को पूरा करना होगा।

59. In case of, in which under no clause(s) of this contract, the contractor shall have rendered himself liable to pay compensation amounting to the whole of his Security Deposit, the Director shall have the power to adopt the following course as may be deemed by him best suited to the institute. To rescind the contract (of which decision, notice in writing to the contractor by him through competent authority, shall be conclusive evidence) in which case, the security deposit of the contractor shall stand forfeited and be absolutely at the disposal of the institute. Besides, for the recovery of any amount in excess of the security money, the Institute shall be at liberty to adopt such legal recourse, as it may deem appropriate at the time.

यदि इस अनुबंध के अनुच्छेद)दों( के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी जमा प्रतिभूति राशि में कोई कमी आती है तो ठेकेदार संपूर्ण जमा प्रतिभूति के बराबर राशि की क्षितिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। निदेशक को )जैसा कि उनके द्वारा संस्थान के सर्वश्रेष्ठ हित में उपयुक्त समझा जाएगा( निम्मिलखित कार्रवाई करने का अधिकार होगाः अनुबंध को रद्द करना )जिसकी सूचना सक्षम अधिकारी के माध्यम से ठेकेदार को दी जाएगी(। ऐसे मामले में ठेकेदार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाएगा और इसके निपटारे का पूर्ण अधिकार संस्थान के पास होगा। इसके अतिरिक्त जमा प्रतिभूति से अधिक राशि की वसूली करने के लिए संस्थान उपयुक्त समझे जाने वाली कोई भी कानूनी कार्रवाई को करने के लिए स्वतंत्र होगा।

60. If the contractor breaches any terms and conditions of the agreement which is deemed to be serious by the Institute, its security deposit may be forfeited either in part or in full as the Institute may deem appropriate, at its discretion.

यदि लाइसेंसधारक द्वारा इस अनुबंध की किसी ऐसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है जिसको संस्थान द्वारा गंभीरता से लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में संस्थान अपने विवेकाधिकार से ठेकेदार द्वारा जमा की गई राशि को आंशिक अथवा पूर्णरूप में जब्त कर सकता है।

## Complaint Mechanism/ शिकायत तंत्र

61. The contractor shall maintain a complaint book in the shop wherein the customers may register their complaints. The complaint book shall be produced every month on the first working day before the Estate Office through the warden In-charge for necessary action.

लाइसेंसधारक को दुकान के अन्दर अनिवार्यरूप से शिकायत पुस्तिका उपलब्ध करानी होगी जिसमें ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है । उक्त शिकायत पुस्तिका प्रत्येक महीने के प्रथम कार्य-दिवस पर वार्डेन-इन-चार्ज के माध्यम से संपदा कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी ।

62. The complaints shall be dealt with by the contractor on priority basis on issues that concern the contractor and a compliance report thereon, shall be submitted to the Estate Office along with the production of complaint book.

लाइसेंसधारक द्वारा शिकायतों का निवारण प्राथमिक आधार पर किया जाएगा तथा शिकायत पुस्तिका सहित अनुपालन रिपोर्ट को संपदा कार्यालय में जमा करनी होगी।

63. The contractor shall be liable to be penalized or fined in cases of defaults and negligence on its part or for complaints in the manner provided hereafter at the discretion of the Institute and/or at be behest of the CEMMC. Such penalty or fines shall be imposed through the Officer In-charge (Estate) according to the nature of the complaints. The first penalty in such case would be to the tune of Rs. 1000/-, Rs. 2000/-, the second time and Rs.5000/-, the third time.

ठेकेदार को स्वयं की गलती एवं लापरवाही अथवा संस्थान या फिर सी ई एम एम सी की ओर से शिकायत मिलने पर दण्ड अथवा अर्थदण्ड दिया जा सकता है। इस प्रकार का दण्ड शिकायत के स्वरूप के आधार पर प्रभारी अधिकारी )संपदा( द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा । इस प्रकार के मामलों में पहली बार 1000, दूसरी बार 2000 तथा तीसरी बार 5000 रूपये की राशि का अर्थदंड लगाया जा सकता है।

64. However if the complaints of identical nature still persist, the Institute would be at liberty to terminate the contract forthwith without giving any more notices.

इसके पश्चात भी यदि इसी प्रकार की शिकायतों का मिलना जारी रहता है तो फिर संस्थान इस संबंध में संबंधित ठेकेदार को और अधिक नोटिस दिये बिना उसके अनुबंध को सीधे-सीधे समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

#### <u>Termination of contract:</u> अनुबंध की समाप्ति

65. Either party may terminate the contract by giving 30 days notice to the other party without assigning any reasons, whatsoever.

कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को कोई भी कारण बताए बिना 30 दिन का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकती है।

- 66. The contract may be terminated in terms of any provisions stipulated elsewhere in the contract. अनुबंध के अन्दर उल्लिखित हरएक प्रावधान के संदर्भ में यह अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
  - 67. In case, the contract is terminated or it comes to an end by efflux of time, the contractor shall handover the vacant possession of the licensed premises within 07 days of contract coming to an end. Failure to handover the vacant possession of the premises as aforesaid, would render the contract to pay a penal rent to the

Institute @ Rs.175 per Sq. Meter or at such higher rate as the Institute may deem appropriate at its absolute discretion. The penal rent under no circumstances shall be subject to question and it is the specific term of this contract.

यदि अनुबंध समाप्त किया जाता है या फिर यह समय से पूर्व समाप्त होता है तो लाइसेंसधारक को अनुबंध समाप्त होने से पूर्व 07 दिनों के अन्दर लाइसेंसधारी को खाली परिसर आधिपत्य को सौंपना होगा । यदि परिसर उल्लिखित अविध के अन्दर परिसर के खाली आधिपत्य को सौंपने में विफल रहता है तो संस्थान उसके विरूद्ध उचित कार्रवाई कर सकता है।

68. The Institute shall further be within its absolute rights to enter the premises and assume absolute possession of the premises licensed under this contract from the contractor and the same shall not be subject to challenge. All the goods belonging to the contractor in such circumstances shall be deemed forfeited therefrom and may be sold or put to auction at the discretion of the Institute. The Institute may, if it so desires, proceed against the contractor in terms of provisions of Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 since the entire premises is governed by the provisions of the said Act in case of non handing over its possession to the Institute as aforesaid.

इसके अतिरिक्त संस्थान के पास परिसर के अन्दर प्रवेश करने तथा इस अनुबंध के तहत लाइसेंस पर दिये गये परिसर पर आधिपत्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इसको कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जाएगी। उक्त परिस्थिति उत्पन्न होने पर ठेकेदार से संबंधित समस्त सामान को जब्त कर लिया जाएगा तथा संस्थान के आदेश पर इस सामान को या तो बेच दिया जाएगा या फिर इसकी नीलामी कर दी जाएगी। यदि ठेकेदार उल्लिखित स्थिति उत्पन्न होने पर संस्थान को परिसर का आधिप्तय नहीं सौंपता है तो फिर संस्थान अपनी स्वेच्छा से सार्वजिनक परिसर )अनिधकृत किरायेदार बेदखली( अधिनियम 1971 के प्रावधानों के तहत ठेकेदार के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है क्योंकि कि संपूर्ण परिसर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित किया जाता है।

## Contract Documents and their interpretations / अनुबंध दस्तावेज एवं अन्य व्याख्याएं

69. The original agreement shall remain with the Institute while a photocopy thereof may be had by the contractor, if it so wishes.

मूल अनुबंध संबंधी दस्तावेज संस्थान के पास रहेगें । यदि परिसर चाहे तो अनुबंध संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति अपने पास रख सकता है।

70. The several documents forming the contract are to be taken mutually explanatory to one another and in case of any ambiguities or discrepancies, the interpretations of the same shall be communicated in writing by the Institute through its competent authority to the contractor along-with the directions, if any, and the same shall be deemed to be final and binding and shall not be open to question in court.

अनुबंध संबंधी कई दस्तावेज एक-दूसरे के लिए परस्पर स्पष्ट किये गये हैं। हालांकि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता एवं विसंगति उत्पन्न होने पर इसका स्पष्टीकरण )दिशा-निर्देशों सिहत यदि कोई है( संस्थान द्वारा सक्षम अधिकारी के माध्यम से ठेकेदार को प्रेषित किया जाएगा तथा इस स्पष्टीकरण को अंतिम एवं बाध्यकारी माना जाएगा एवं उक्त स्पष्टीकरणों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी।

## Jurisdiction/ अधिकार क्षेत्र

71. All matters and disputes under this contract shall be subject to the jurisdiction of Kanpur Nagar District Courts only.

इस अनुबंध के तहत आने वाले समस्त विषय एवं विवाद केवल कानपुर नगर स्थित जिला न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के अधीन होगें।

Signature of the Bidder निविदादाता के हस्ताक्षर	Recent photograph
Full name of the Bidder	of
निविदादाता का पूरा नाम	tenderer
Address	फोटो
 чता	
Mobile No मोबाइल:Seal/मुहर	

# APPLICATION FOR RUNNING PROVISION STORE AT HALL OF RESIDENCE XIII, IIT KANPUR

(If an individual)/Firm		
Father's Name		
Address of self and Firm		
Phone No./Mobile No.		
Aadhar No.		
	:Rs. 10,000/- :	
NameAadhar NoAddress		 
<b>Declaration:</b> I hereby undertake —  1. That I shall bear all the shall vacate the shall va	the expenses if there is any damage to the said premises.  The Shop premises and handover it to the Institute whenever the terms and conditions of this tender document.	
<u>Date</u> :	Signatu Seal	ure of the applicant

**Part II:**Details to be filled by the bidder:

IN CASE THE BIDDER IS A FIRM IN CASE THE BIDDER IS AN INDIVIDUAL		ER IS AN INDIVIDUAL		
Income Tax Reg	istration Certificate/PAN	Income Tax		e/PAN
No		No	he last one year of the Indivi	
NoBank statement for the last of	one year of the registered firm	Bank statement for the	he last one year of the Indivi	dual's
enclosed: Yes/No		account: Yes/No		
GST Registration Certificate/No	0		e last work	
Document Enclosed: Yes/No		Document Enclosed: Y	/es/No	
Firm Registration No		Not required		
Document Enclosed: Yes/No				
No of employees				
EPF registration No		EPF registration No		
Document Enclosed: Yes/No		Document Enclosed: Y		
ESIC Registration No		ESIC Registration No.		
Document Enclosed: Yes/No		Document Enclosed: Y		
No of years of experience		No of years of experien		
Document Enclosed: Yes/No		Document Enclosed: Y		
	nt/semi-government/autonomous			
body and reputed Institute:			us body and reputed Institute	
		Yes/No.		
Yes/No				
Name of the Government/semi-government/autonomous body Name of the Government/semi-government/autonomous		omous		
& Institute where last worked/c			e last worked/currently working.	
	Years of experience	Institute Name	Years of experience	
1		1		
2		2		
3		3		
4		4		
Other Statutory Registrations/L	icenses, if any.	Not required		
	d on behalf of the Firm, enclose			
authority letter.: Yes/No		enclose authority letter: Yes/No		
FDR/TDR/DD No		FDR/TDR/DD No		
Issuing Bank Name	Bank Name Issuing Bank Name			
Date of issue		Date of issue		
Aadhar No. of Firm:		Aadhar No. of Individu		
Document enclosed: Yes/No.		Document enclosed: Y	es/No.	

Signature of the bidder

#### Part III:

Details to be filled by the bidder:

List of items to be sold and their rate (including GST)

S.No	Items	Price (including GST)

	29/30

#### FINANCIAL BID वित्तीय बोली

#### INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANPUR हाल XIII मे प्रोविशन स्टोर की निविदा संख्या 11/2018-19 हेतु Tender Notice No. 11/2018-19 Provision store at Hall of Residence XIII

,	The undersigned, hereby, offers to pay a monthly License fee at the rate of Rs./ per square
	for the premises in question, as detailed in the bid document.
जैसा 	की निविदा दस्तावेज़ मे दिया गया है, मैं, अधोहस्ताक्षरित,  इस दुकान परिसर के लिए मासिक लाइसेन्स शुल्क रु /- प्रति वर्ग मीटर की दर से देने का प्रस्ताव देता हूँ।
total a मैं इस	I further agree that the Institute shall be entitled to round off the License fee to be computed according to the area of the premises to the next upper multiple of hundred rupees.  बात से सहमत हूँ कि संस्थान को यह अधिकार है कि वह उपरोक्त कुल क्षेत्र के लिए गणना किए गए मासिक लाइसेंस को अगले निकटतम 100 रुपए के गुणांक तक बढ़ा सकता है
in 'b' <b>मैं इस</b>	I also agree that the Institute shall be entitled to an enhancement @ 10% in the total License fee (as computed above) duly rounded off as aforesaid, every year. I बात से भी सहमत हूँ कि संस्थान को यह अधिकार होगा कि वह मासिक लाइसेन्स शुल्क मे 10% प्रति वर्ष की दर से री कर सकता है।
	बोलीदाता के हस्ताक्षर
	दिनांक
	Signature of the Bidder
	Date: